भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 885 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

गुजरात में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

† 885. श्री परषोत्तमभाई रुपाला :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात, जहां देश की सबसे लंबी तटरेखा है, में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और आईडब्ल्यूएआई के ऐसे प्रयासों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ पहले ही आवंटित की जा चुकी अथवा प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आईडब्ल्यूएआई ने, नर्मदा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग- 73) में क्रूज़ आवागमन के प्रचालन के लिए गुजरात सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा रा.ज-73 के घोषित भाग में दो जेट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख): शुरूआती चरण में, 1.16 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, **अनुबंध** में दिए गए विवरण के अनुसार इस उद्देश्य के लिए आवंटन हेतु 60.84 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं।

अनुबंध

क्र.सं.	गतिविधि	करोड़ रु. में (वित्त वर्ष 2024-25)	करोड़ रु. में (वित्त वर्ष 2025-26)
(क)	समर्थित अवसंरचना (नदी संरक्षण/ ड्रेजिंग/ नौचालन सहायता और नदी सूचना प्रणाली- V)	1.57	45.41
(ख)	टर्मिनल विकास भूमि अधिग्रहण/ लिजिंग तथा प्रथम छोर से अंतिम छोर तक संपर्कता	1.08	10.02
(ग)	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण	0.87	0.55
(घ)	कार्गो संवर्धन	0.20	0.20
(ङ)	विविध व्यय	0.54	0.40

*****